



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A15-12/2019

प्रेषक

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

10 MAY 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : अप्रैल, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-3647/एचएनबीयूएमयू/2019-20 दिनांक 28 जून, 2019, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माध्यम से आपके द्वारा पॉल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल साईंसेज, हल्द्वानी को बी०-एससी० (नर्सिंग) एम०एससी० (नर्सिंग) व एन०पी०सी०सी० पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अर्न्तगत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
पॉल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल साईंसेज, हल्द्वानी।	बी०-एससी० नर्सिंग	50	2019-20
	एम०-एससी० नर्सिंग	13	
	एन०पी०सी०सी०	10	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(2) प्रामूत राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियामक संस्था से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए उसकी प्रति इस सचिवालय को प्रेषित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

(3) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू०जी०सी० विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। यदि अपूर्ण मानकों के कारण संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा मा० कुलाधिपति को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) शैक्षिक सत्र 2019-20 व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत छात्रहित में मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा सत्र 2019-20 की सम्बद्धता स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी०/नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकों से पूर्ण हों। इस सम्बन्ध में संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करते समय निदेश निर्गत किये जायें। अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 506 (1)/जी०एस० (शिक्षा)/A15-12/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक पॉल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल साईंसेज, हल्द्वानी
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।